123

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2012 निगरानी — 870 - PBR/12

1— इन्दरसिंह पिता विक्रमसिंह,

2— दरबारसिंह पिता विक्रमसिंह

3— बनेसिंह पिता विक्रमसिंह

4— दिलीपसिंह पिता विक्रमसिंह

5. श्रीमती गंगाबाई विधवा विक्रम सिंह

न्यायालय के आदेश दि. 15-7-14 के पालन में नाम जोड़ा गया 15-7-14

समस्त जाति राजपुत, निवासीगण—ग्राम पंथपिपलई तहसील व जिला उज्जैन ——— आवेदक

विरूद्ध

सरपंच ग्राम पंचायत पंथ पिपलई,
तहसील व जिला उज्जैन ———अनावेदक

सुखदेव 29-2-2012 अधीक्षक ... उज्जैन संभाग

123
29/2/2012

Recived copy Ujjain 28/3/12

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 3/बी–121/10–11 में पारित आदेश दिनांक 31/01/2011 एवम् नोटशीट नं. 17/2011 में किये गये प्रोसेडिंग के विरूद्ध धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत निगरानी ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :—

01. यह कि, ग्राम पंथपिपलई की भूमि सर्वे नं. 26 चरनोई में दर्ज थी उक्त भूमि को आवेदकगण के पिता विक्रम सिंह द्वारा पट्टे पर देने हेतु आवेदन–पत्र तहसीलदार उज्जैन को पेश किया था । उक्त आवेदन–पत्र के आधार पर आवेदकगण के पिता विक्रमसिंह पिता कंचनसिंह को तहसील प्रकरण क्रं. 1/65–66–ए 19 दिनांक 10/03/1967 के आधार पर सर्वे नं. 26 रकबा 1.26 हे. का पट्टा दिया गया है तभी से उक्त भूमि पर आवेदकगण काबिज होकर चले आ रहें है ग्राम पटवारी द्वारा उक्त पट्टे का अमल शासकीय कागजातो में नही किया गया है वर्ष 1987–88 में आवेदकगण के पिता व पति द्वारा बन्दोबस्त के दौरान पट्टे के आधार पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पेश किये जो प्रकरण क्रं. 1–6/87–88 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 05/05/1988 को नामान्तरण करने का आदेश दिया गया । सर्वे नं. 26 रकबा 1.26 हे. का बन्दोबस्त में नया सर्वे नं. 16 रकबा 1.26 हे. जिस पर नामान्तरण कर दिया गया विक्रम सिंह की मृत्यु के पश्चात् आवेदकगण का वारिसों के रूप में नामान्तरण हुआ तथा आवेदकगण मालिक नाते काबिज चले आ रहें है । ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा एक शिकायत जन सुनवाई में की इसके

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-870-पीबीआर/12 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव रुदाहड़े उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	